राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2391/2024

सुमन

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राजय जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जयपुर रेंज, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.07.2024
आदेश की दिनांक : 26.07.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थिया की ओर से : श्री आरिफ खान, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थिया ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थिया को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.03.2024 के द्वारा वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के उपरांत अपीलार्थिया को कार्यालय आदेश दिनांक 27.06.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधी चौक, आमेर जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायसर, आंधी पदस्थापित किया गया है। इसके पश्चात अपीलार्थिया को आदेश दिनांक 05.07.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थिया ने इस अपील में अपने पदस्थापन आदेश को चुनौती दी है। अपीलार्थिया के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थिया के निवास स्थान के पास ही अन्य विद्यालयों में पद रिक्त हैं, जिन पर अपीलार्थिया को पदस्थापित किया जा सकता था, परंतु अपीलार्थिया को 70 किलोमीटर दूर पदस्थापित किया गया है, जो उचित नहीं है।

अपीलार्थिया के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अपीलार्थिया विधवा महिला है, जिन्हें निवास स्थान से 70 किमी. दूर पदस्थापित किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थिया पर अपने बच्चों एवं बूढ़े सास–ससूर की जिम्मेदारियां हैं। अपीलार्थिया ने अपने निवास स्थान के पास ही तीन विद्यालयों में का विवरण देते हुए एक प्रतिवेदन संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर को प्रेषित किया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थिया ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थिया के संबंध में पारित पदस्थापन आदेश दिनांक 27.06.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 05.07.2024 को स्थगित किया जाये एवं अपीलार्थिया को अपने निवास स्थान के पास ही तीन विद्यालयों में से किसी विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने के आदेश पारित किये जायें।

3. हमनें अपीलार्थिया द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थिया का पदस्थापन उसकी पदोन्नति के उपरांत किया गया है। अपीलार्थिया को जयपुर जिले में ही पदस्थापित किया गया है। ऐसे में पदस्थापन के पश्चात अपीलार्थिया का जिला परिवर्तन नहीं किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जब तब कि वह निर्णय विधि–विरूद्ध एवं दुर्भावनापूर्वक हो। अपीलार्थिया के स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश में हम किसी प्रकार की नियम–विरूद्धता या दुर्भावना होना नहीं पाते हैं। जहां तक अपीलार्थिया की व्यक्तिगत परेशानियों का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलार्थिया प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकती है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)